[redacted]

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला बीकानेर – **थाना प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्र.नि.ब्यूरो जयपुर**............वर्ष ....**2022**...............
2. प्र.सू.रि.सं.......498.........../**2022**............. दिनांक ...28/12/2022............
   (I) * अधिनियम – **भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथासंशोधन वर्ष 2018)** धारा – **7**
   (II) * अधिनियम भा.द.सं. धारा – ....
   (III) * अधिनियम..............................–.............................. धाराएं..........................–........................
   (IV) * अन्य अधिनियम एवं धाराएं ....–..................................
3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या .....560..............समय.......4:30 PM.........
   (ब) अपराध घटने का दिन व समय– शनिवार **दिनांक 26.11.2022 वक्त 12:09 पी.एम**
   (स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक – ....25.11.2022 वक्त 05:30 पी.एम..... ....
4. सूचना की किस्म :– लिखित / मौखिक – **लिखित**
5. घटनास्थल :–
   (अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी – दक्षिण करीब 70 किमी
   (ब) पता – तहसीलदार कार्यालय नोखा के पास स्थित अंडरग्राउंड कांप्लैक्स, जिला बीकानेर
   बीटसंख्या......–.............जुरायमदेही सं.........................
   (स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो पुलिस थाना ......–..............................
6. परिवादी /सूचनाकर्ता :–
   (अ) नाम – **श्री जयकिशन चौधरी**
   (ब) पिता/पति का नाम – श्री कोजाराम
   (स) जन्म तिथि/आयु – 23 वर्ष
   (द) राष्ट्रीयता – **भारतीय**
   (य) पासपोर्ट संख्या.................. जारी होने की तिथि...... जारी होने की जगह ....
   (र) पेशा – विद्यार्थी
   (ल) पता – **गांव बनिया तहसील नोखा जिला बीकानेर वर्तमान पता चौधरी कॉलोनी, तेजाजी मंदिर के पास, पुलिस थाना गंगाशहर, बीकानेर**
7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित :–
   1. श्री छीतर मीणा पुत्र श्री गोपाल राम मीणा ग्राम नॉगलपूरण पोस्ट खाजलपुरा तहसील चाकसू जिला जयपुर हाल राजस्व पटवारी साधासर अतिरिक्त चार्ज पटवार हलका बनिया तहसील नोखा जिला बीकानेर
8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :– **कोई विलम्ब नहीं।**
9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये)......
10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति का कुल मुल्य ....–..
11. पंचनामा यू. डी. केस संख्या (अगर हो तो) ....–...
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये) :–

महोदय,

निवेदन है कि दिनांक 25.11.2022 को श्री जयकिशन चौधरी पुत्र श्री कोजाराम जाति जाट निवासी गांव बनिया तहसील नोखा जिला बीकानेर ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रनिब्यूरो, बीकानेर के समक्ष हस्तलिखित रिपोर्ट "सेवा में, श्रीमान एडिशनल एसपी साहब एसीबी बीकानेर, विषय– भ्रष्ट पटवारी श्री छीतर सिंह द्वारा 11 हजार रूपये रिश्वत मांगने पर रंगे हाथो पकड़वाकर ट्रेप करवाने के सम्बंध में, महोदय नम्र निवेदन हैं कि मैं डूंगर कॉलेज बीकानेर से एम.ए. फाईनल ईयर की पढाई कर रहा हूँ तथा बीकानेर में ही रहता हूं, मेरा गांव बनिया है, मेरे दादाजी रामलाल उर्फ रामूराम उम्र 85 वर्ष है निवासी गांव बनिया, तहसील नोखा जिला बीकानेर के नाम से गांव भानीपुरा तहसील पूगल के खसरा नं. 466/2 (1076/466) में 75 बीघा गैर खातेदारी बारानी भूमी है जिसके खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के लिए मेरे दादाजी ने अपने जानकार को साथ ले जाकर पूगल से फोटो फार्म लेकर पूगल एसडीओ को 7–8 दिन पहले फॉटो फॉर्म तस्दीक के लिए आवेदन दिया था पूगल एसडीओ ने उक्त फोटो फार्म रखकर फॉटो फॉर्म तस्दीक हेतु तहसीलदार (राजस्व) नोखा को एक लेटर जारी करके मेरे दादाजी के जानकार श्री जगदीश जी को बाद में बाई हैण्ड दिया था, जगदीश जी ने उक्त फोटो फॉर्म, एक लेटर मेरे दादाजी को बीकानेर में दे

दिया था। मेरे दादाजी ने दिनांक 22.11.2022 को मेरे चाचा श्री नारायण जी को साथ ले जाकर नोखा तहसीलदार कार्यालय में फोटो फॉर्म, लेटर तस्दीक के लिए दे दिया था, मेरे दादाजी ने फोटो फार्म, लेटर की एक फोटो कॉपी भी करवाकर अपने पास रख ली थी, तहसीलदार जी ने फोटो फॉर्म तस्दीक के काम के लिए हल्का पटवारी श्री छीतरसिंह जी मीणा के पास सम्पर्क करने के लिए कहा था, लेकिन पटवारी जी 2 दिन अवकाश पर थे, उसके बाद मैं कल दिनांक 24.11.2022 को अपने दादाजी को लेकर पटवारी श्री छीतरसिंह जी मीणा से मेरे दादाजी के फोटो फॉर्म तस्दीक की कार्यवाही के लिए नोखा तहसील कार्यालय में मिला था तो उन्होंने इस काम के लिए मुझसे व मेरे दादाजी से 11 हजार रूपये की रिश्वत की मांग की थी और मुझे आज सुबह 10.00 बजे नोखा तहसील परिसर में आने के लिए कहा था मैंने आज पटवारी श्री छीतरसिंह मीणा को कॉल करके पूछा तो पटवारी जी ने आज व्यस्त होने की बात कही थी तथा मुझे वापिस फोन करने की बात कही थी मैं व मेरे दादाजी पटवारी श्री छीतर सिंह मीणा को 11 हजार रूपये की रिश्वत नहीं देना चाहते तथा उसे रिश्वत लेते हुए एसीबी से रंगे हाथो पकड़वाने की कार्यवाही चाहते है इसलिए नियमानुसार कार्यावाही करें। सधन्यवाद प्रार्थी एसडी जयकिशन दिंनाक 25.11.2022 जयकिशन पुत्र कोजाराम चौधरी निवासी गांव बनिया तहसील नोखा जिला बीकानेर मोबाईल नंबर 8290150842, 7877427605" प्रस्तुत की थी। जिस पर श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बीकानेर ने मुझ पुलिस निरीक्षक आनन्द मिश्रा को अपने कार्यालय कक्ष में बुलाकर परिवादी श्री जयकिशन चौधरी पुत्र कोजाराम जाति जाट, उम्र 22 वर्ष निवासी गांव बनिया, तहसील नोखा हाल चौधरी कॉलोनी, तेजाजी मंदिर के पास, बीकानेर से आपसी परिचय करवाया एवं परिवादी के प्रार्थना पत्र पर अग्रिम कार्यवाही हेतु निर्देशित किया। इस पर परिवादी श्री जयकिशन को हमराह लेकर मैं पुलिस निरीक्षक अपने कक्ष में उपस्थित हुआ। रिपोर्ट का अवलोकन किया गया, रिपोर्ट को पढकर परिवादी को सुनाया गया तो परिवादी ने हस्तलिखित रिपोर्ट में अंकित समस्त तथ्यों पर सहमति प्रकट की गई। परिवादी ने मुझ पुलिस निरीक्षक के पूछने पर बताया कि आपको दी गई रिपोर्ट मेरे द्वारा स्वयं लिखी गई है तथा इस पर मेरे ही हस्ताक्षर हैं। परिवादी ने बताया कि "मैंने आज सुबह मेरे मोबाइल नंबर 7877427605 से पटवारी श्री छीतर सिंह मीणा के मोबाइल नंबर 7878854823 पर कॉल करके बात की थी जिसमें उसने मुझे किसी काम से व्यस्त होने तथा दोपहर तक कॉल करने की बात कही थी परंतु अब तक उसका कॉल नहीं आया है। पटवारी श्री छीतर सिंह मीणा मुझसे अथवा मेरे दादाजी श्री रामलाल उर्फ रामूराम से बिना रुपये लिए मेरे दादाजी का फोटो फार्म तस्दीक नहीं करेगा और हमारे काम के लिए उसके द्वारा मांगी गई 11 हजार रुपये रिश्वत की राशि प्राप्त होने पर हमारा काम कर देगा। मेरा अथवा मेरे दादाजी का पटवारी श्री छीतर सिंह मीणा से किसी प्रकार का उधारी का लेनदेन भी नहीं है, न ही कोई शत्रुता है। मैं पटवारी श्री छीतर सिह मीणा को किसी प्रकार की रिश्वत नहीं देना चाहता हूं और उनको एसीबी की कार्यवाही करवाकर ट्रैप करवाना चाहता हूं। मेरे दादाजी श्री रामलाल उर्फ रामूराम के कहे अनुसार ही मैं एसीबी से यह कार्यवाही करवाना चाहता हूं। मेरे दादाजी काफी वृद्ध हैं जिनकी अभी उम्र 85 वर्ष है तथा मेरे साथ ही एसीबी कार्यालय तक आए हुए हैं।" परिवादी श्री जयकिशन चौधरी ने अपने दादाजी से संबंधित पूगल तहसील कार्यालय में फोटो फार्म तस्दीक हेतु दिया गया फोटो तस्दीक फार्म व पूगल एसडीओ कार्यालय की ओर से जारी लैटर क्रमांक 341 दिनांक 18.11.22 की स्वप्रमाणित प्रति (कुल दस्तावेज 3 पृष्ठ) मुझ पुलिस निरीक्षक को प्रस्तुत की जिसे अवलोकन किया जाकर शामिल कार्यवाही दस्तावेज किया गया। रिपोर्ट परिवादी एवं पूछताछ से मामला पीसी एक्ट की परिधि में आना पाये जाने से परिवादी जयकिशन को निर्देशित किया जाकर परिवादी के दादाजी श्री रामूराम उर्फ रामलाल को मुझ पुलिस निरीक्षक के कक्ष में बुलाया गया। परिवादी श्री जयकिशन के दादाजी का परिचय लिया जाकर उनको परिवादी के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों व परिवादी द्वारा पूछताछ में अवगत करवाए गए तथ्यों को पढकर सुनाया गया जिस पर परिवादी के दादाजी ने परिवादी द्वारा एसीबी में दिए गए प्रार्थना पत्र आदि के तथ्यों पर पूर्ण सहमति प्रकट करते हुए, परिवादी श्री जयकिशन को ही स्वयं की ओर से श्री छीतर सिंह मीणा के विरुद्ध एसीबी कार्यवाही के लिए भविष्य में प्रतिनिधि होना अवगत करवाया गया व इस हेतु सहमति प्रदान की। इस पर श्री रामूराम उर्फ रामलाल की अवस्था को देखते हुए उनको प्रस्थान की अनुमति प्रदान की गई व उनकी सहमति अनुसार आगे की कार्यवाही उनके प्रतिनिधि परिवादी श्री जयकिशन की ओर से प्रारंभ की गई जिसमें परिवादी श्री जयकिशन को रिश्वत मांग सत्यापन प्रकिया समझाई गई। परिवादी ने अवगत करवाया कि "मैं अभी मेरे मोबाइल फोन से पटवारी श्री छीतर सिंह मीणा को कॉल लगाकर वार्ता कर सकता हूं। आरोपी पटवारी श्री छीतर सिंह मीणा मुझसे हमारे फोटो फार्म तस्दीक के काम के लिए फोन पर ही मुझसे रिश्वत की मांग कर सकता है।" इस पर मुझ पुलिस निरीक्षक ने मालखाना से डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर व एक मेमोरी कार्ड प्राप्त किया गया। मेमोरी कार्ड को डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर में स्थापित किया गया।

परिवादी को कार्यवाही संबंधी निर्देश प्रदान किए गए। तत्पश्चात डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय स्थापित मेमोरी कार्ड की रिकॉर्डिंग को ऑन किया गया, परिवादी ने अपने मोबाइल नंबर 7877427605 से पटवारी श्री छीतर सिंह मीणा के मोबाइल नंबर 7878854823 पर कॉल किया तो आरोपी पटवारी ने परिवादी के काम के लिए अपनी ओर से केवल परिवादी के काम की रिपोर्ट कर देने की बात कही और आगे का काम तहसील कार्यालय से होने की बात परिवादी को कही है। पटवारी श्री छीतर सिंह मीणा ने परिवादी के काम के लिए सुबह 10 बजे तहसील नोखा कार्यालय आकर संपर्क करने की बात कही है। परिवादी को दिनांक 26.11.2022 की कार्यवाही हेतु बताया गया तो परिवादी द्वारा दिनांक 26.11.2022 को आरोपी पटवारी से संपर्क करके रिश्वत मांग सत्यापन कार्यवाही करवाने की सहमति प्रदान की गई। इस पर श्री भगवान दास कानि. 134 को मन् पुलिस निरीक्षक ने अपने कक्ष में बुलाकर मौजूदा परिवादी से आपसी परिचय करवाकर परिवादी के प्रार्थना पत्र के तथ्यों से अवगत करवाया गया, परिवादी व आरोपी के मध्य वार्ता के दौरान की संभावनाओं की जानकारी प्रदान की गई। तत्पश्चात् श्री भगवान दास कानि. व परिवादी श्री जयकिशन को डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर में वार्ता रिकॉर्ड करने हेतु इसे चालू व बंद करने की प्रक्रिया से समझाया गया। परिवादी ने बताया कि "मैं प्रातः अपनी सुविधानुसार भगवानदास कानि. से संपर्क करके कल सुबह मिलने की जगह बता दूंगा।" तत्पश्चात परिवादी श्री जयकिशन को ब्यूरो चौकी से प्रस्थान की अनुमति प्रदान की गई।

दिनांक 26.11.2022 को समय 08:45 एएम पर भगवानदास कानि. को डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय स्थापित मेमोरी कार्ड सुपुर्द कर परिवादी से संपर्क कर सत्यापन कार्यवाही करने के निर्देश देकर नोखा के लिए रवाना किया। समय 12:51 पीएम पर भगवानदास कानि. ने मुझ पुलिस निरीक्षक को मोबाइल कॉल से अवगत करवाया कि परिवादी व आरोपी का आपस में संपर्क होकर रुबरु वार्ता हुई थी जिसमें परिवादी जयकिशन ने लौटकर बताया कि पटवारी श्री छीतर सिंह मीणा द्वारा हमारे काम के लिए मुझसे कुल 10 हजार रुपये रिश्वत प्राप्त करने पर सहमति दी है और 3000 रुपये प्राप्त कर लिए हैं तथा शेष 7000 रुपये सोमवार दिनांक 28.11.2022 को प्राप्त करने पर सहमत हुआ है। वक्त 02:30 पी.एम. पर भगवानदास कानि. मय परिवादी श्री जयकिशन ब्यूरो चौकी पर उपस्थित हुए हैं। मुझ पुलिस निरीक्षक द्वारा भगवानदास कानि. से डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय स्थापित मेमोरी कार्ड प्राप्त किया जाकर चैक किया गया जिसमें वार्ता रिकॉर्ड होनी पाई गई हैं। परिवादी ने मुझ पुलिस निरीक्षक को अपने काम से संबंधित दस्तावेज एक उपखंड अधिकारी पूगल, बीकानेर का पत्र क्रमांक राजस्व/2022/341 दिनांक 18/11/22 प्रस्तुत किया जिसके संलग्न एक कथित फोटो फार्म क्रमांक 000287, रामलाल पुत्र लाधूराम जाट गांव बनिया, आयु 85 वर्ष, तहसील नोखा, जिला बीकानेर व जमाबंदी काश्तकार लाधूराम, पटवार हलका कुचौर आथुणी प्रस्तुत की है। उक्त दस्तावेजों का अवलोकन किया गया जिसमें पत्र क्रमांक 341 दिनांक 18/11/22 पर "कार्यालय तहसीलदार (भु.अ.) नोखा, क्रमांक/एलआर/2022/1533 दिनांक 24.11.22, पटवारी हलका कुचौर आथुणी फोटो फार्म तस्दीक कर कार्यालय में प्रस्तुत करें।" लिखित होकर तहसीलदार (भू.अ.), नोखा की मोहर व हस्ताक्षर हैं। उक्त पत्र के पृष्ठ भाग पर एक विस्तृत पृष्ठांकन "मौका रिपोर्ट" होकर अंत में पटवारी छीतर मीणा, (भू.अ.) प.म. कु. आथुणी, तह. नोखा (बीकानेर) की मोहर व उस पर हस्ताक्षर हैं, हस्ताक्षर के नीचे दिनांक 26.11.2022 दर्ज है। परिवादी ने इस बारे में बताया कि वार्ता के समय पटवारी श्री छीतर सिंह मीणा ने मेरे सामने यह मौका रिपोर्ट लिखकर, अपने हस्ताक्षर के नीचे पहले 24.11.2022 दिनांक अंकित की थी, फिर तुरंत ही यह दिनांक संशोधित करके 26.11.2022 कर दी थी। तत्पश्चात् यह कागजात तहसीलदार कार्यालय नोखा में आगे की कार्यवाही करवाने के लिए मुझे सुपुर्द कर दिए थे। इसी दौरान पटवारीजी ने मुझसे पूर्व की 11 हजार रुपये रिश्वत की हो चुकी वार्ता के अनुसार 3000 रुपये रिश्वत के प्राप्त कर लिए थे तथा रिश्वत राशि में कुछ कम ज्यादा करने हेतु मेरे निवेदन करने पर उन्होंने अंत में हमारे काम के लिए कुल 10 हजार रुपये रिश्वत प्राप्त करने पर सहमति दी थी। पटवारी श्री छीतर सिंह मीणा ने शेष 7000 रुपये की रिश्वत राशि सोमवार दिनांक 28.11.2022 को लेने पर सहमति देते हुए तहसीलदार कार्यालय का शेष काम साथ चलकर करवाने की बात मुझे कही थी। पटवारी श्री छीतर सिंह मीणा से रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के दौरान मैं अपने दादाजी श्री रामलाल उर्फ रामूराम को साथ लेकर गया था। नोखा पहुंचकर रुबरु वार्ता से पूर्व मैंने पटवारीजी को कॉल करके पूछने की बात श्री भगवानदास कानि. को बताई थी तो श्री भगवानदास कानि. ने डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर चालू किया था और मैंने पटवारी श्री छीतर सिंह मीणा को स्पीकर मोड पर कॉल किया तो उन्होंने कॉल अटैंड नहीं किया था, जिसके कुछ देर बाद पटवारी जी का मेरे पास कॉल आया था जिसको मैं अटैंड नहीं कर पाया था, फिर श्री भगवानदास कानि. से डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर चालू करवाकर मैंने पटवारी जी को कॉल लगाकर स्पीकर मोड पर वार्ता की तो उन्होंने मुझे पहले एक चाय की दुकान पर

ठहरने का कहा, कुछ देर बाद पुनः मुझे कॉल करके पटवारीजी ने पास में स्थित एक अंडरग्राउंड कांप्लैक्स जगह पर बुलाया था। पटवारीजी श्री छीतर सिंह मीणा से मेरी आमने सामने की वार्ता तहसीलदार कार्यालय नोखा के पास बने एक अंडरग्राउंड कॉप्लैक्स में हुई थी। रिश्वत मांग सत्यापन कार्यवाही के दौरान हुई वार्ताओं की फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार किये जाने के सम्बंध में परिवादी को अवगत कराया गया तो परिवादी ने बताया कि "मुझे आज बहुत ही जरुरी घरेलू कार्य है, मैं ब्यूरो चौकी पर रुक नहीं सकता हूं। मैं आपकी फर्द ट्रांसक्रिप्ट की कार्यवाही के लिए कल दिनांक 27.11.2022 को प्रातः 10:00 बजे ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित हो जाउंगा।" जिस पर परिवादी को आगामी कार्यवाही व औपचारिकताओं की विस्तृत जानकारी दी जाकर दिनांक 27.11.2022 को ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित होने के निर्देश प्रदान कर ब्यूरो कार्यालय से प्रस्थान की अनुमति प्रदान की गई। ट्रैप कार्यवाही की संभावना तथा आगामी अवकाश को देखते हुए सहायक निदेशक, कृषि विस्तार, बीकानेर कार्यालय से दो कर्मचारी गोपनीय कार्यवाही हेतु भिजवाने हेतु मौखिक निवेदन किया गया तो श्री सुनील तंवर सहायक प्राशासनिक अधिकारी, श्री मोहम्मद सुल्तान चौहान वरिष्ठ सहायक, कार्यालय सहायक निदेशक, कृषि (विस्तार), बीकानेर उपस्थित हुए हैं जिन्हें गोपनीय कार्यवाही हेतु पाबंद किया गया। डिजीटल वॉयस रिकार्ड मन पुलिस निरीक्षक अपने पास सुरक्षित रखा।

दिनांक 27.11.2022 को 10:50 ए.एम पर परिवादी श्री जयकिशन ब्यूरो चौकी पर उपस्थित हुआ। कार्यवाही में प्रयुक्त डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय स्थापित मेमोरी कार्ड को मुझ पुलिस निरीक्षक द्वारा कार्यालय कंप्यूटर में कनैक्ट करके परिवादी श्री जयकिशन व आरोपी श्री छीतर सिंह मीणा के मध्य हुई रिकार्ड वार्ताओं की ऑडियो क्लिप को सुना जाकर फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार की जानी प्रारंभ की गई। फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार की जाकर रिकॉर्ड वार्ताओं को दो पैन ड्राइव में कॉपी कर एक पैन ड्राइव को सील किया गया व एक पैन ड्राईव अन्वेषण प्रायोजनार्थ खुली अवस्था में रखा गया। डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड के अग्रिम कार्यवाही हेतु मन् पुलिस निरीक्षक ने अपने पास सुरक्षित रखा। तैयार की गई फर्द ट्रासंक्रिप्ट से प्राप्त तथ्यों व परिवादी द्वारा सत्यापन वार्ता के पश्चात् दर्ज करवाए गए तथ्यों के अनुसार आरोपी पटवारी श्री छीतर सिंह मीणा द्वारा परिवादी के दादाजी श्री रामूराम उर्फ रामलाल के फोटो फार्म तस्दीक के लंबित कार्य के लिए परिवादी श्री जयकिशन से 11,000 रुपये की रिश्वत की मांग की गई थी जिसमें रुबरु सत्यापन वार्ता दिनांक 26.11.2022 के दौरान 1000 रुपये कम करने की बात आरोपी पटवारी द्वारा परिवादी श्री जयकिशन से कही जाकर 10,000 रुपये प्राप्त करने पर सहमति दी गई है। सत्यापन वार्ता के दौरान परिवादी से आरोपी पटवारी द्वारा 3000 रूपये रिश्वत के प्राप्त किये गये। आरोपी द्वारा पूर्ण रिश्वत राशि न मिलने पर असंतोष दर्शाते हुए शेष 7000 रुपये रिश्वत राशि सोमवार दिनांक 28.11.2022 को लेन देन तय हुआ तथा आरोपी पटवारी द्वारा मौका रिपोर्ट करने के पश्चात् फोटो फार्म परिवादी को सुपुर्द करके परिवादी को सत्यापन वार्ता में फोटो फार्म को तहसील कार्यालय नोखा में आगामी प्रकिया के लिए देने हेतु निर्देशित किया है जिस पर परिवादी जयकिशन ने आरोपी पटवारी श्री छीतर सिंह मीणा को ही आगामी प्रकिया तहसील कार्यालय नोखा से दिनांक 28.11.2022 को करवाकर देने की बात कही तथा शेष रही 7000 रुपये रिश्वत देने की बात कही है जिस पर आरोपी पटवारी ने सहमति प्रदान की है। परिवादी द्वारा बताया कि "मैं कल दिनांक 28.11.2022 को आरोपी पटवारी श्री छीतर सिंह मीणा से तहसील कार्यालय नोखा में मिलकर मुझे प्रदान किए गए तस्दीकशुदा फोटो फार्म पर आगामी कार्यवाही करवाने हेतु निवेदन करुंगा जिससे कि तहसील कार्यालय में हमारे काम में पुनः कोई अड़चन नहीं आए, अन्यथा पटवारी श्री छीतर सिंह मीणा की तस्दीक की कार्यवाही के पश्चात् भी मेरा कार्य पुनः तहसील में अटका सकता है। पटवारी श्री छीतर सिंह मीणा को रिश्वत मिलने के कारण वह मेरा कार्य तहसील कार्यालय में रुचि लेकर करवा देगा और हमारे फोटो फार्म को वहां से पूगल के लिए डिस्पैच भी करवा देगा। मैं कल उपर्युक्त फोटो फार्म संबंधी कार्यवाही के दौरान पटवारी श्री छीतर सिंह मीणा की मांग के अनुसार उसे 7000 रुपये की रिश्वत राशि भी प्रदान करके ट्रैप कार्यवाही करवा दूंगा।" तत्पश्चात परिवादी जयकिशन को दिनांक 28.11.2022 को पटवारी श्री छीतर सिंह मीणा के विरुद्ध ट्रैप कार्यवाही आयोजन के लिए 7000 रुपये रिश्वत राशि की व्यवस्था करने तथा मूल तस्दीकशुदा फोटो फार्म साथ लेकर आने के निर्देश प्रदान किए गए। परिवादी ने बताया कि मेरे पास पटवारी श्री छीतर सिंह मीणा से मेरे काम व रिश्वत मांगने संबंधी मेरे मोबाइल में रिकॉर्डिंग हैं जो कि मैं बाद में पेश कर दूंगा। मुझ पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी को उक्त रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखने के निर्देश दिए गए। परिवादी को दिनांक 28.11.2022 को प्रातः 08:00 एएम पर ब्यूरो चौकी पर उपस्थित होने के लिए पाबंद किया जाकर ब्यूरो चौकी से प्रस्थान की अनुमति प्रदान की गई।

दिनांक 28.11.2022 को वक्त 08:55 एएम पर पूर्व से पाबंदशुदा कर्मचारी श्री सुनील तंवर–सहायक प्राशासनिक अधिकारी व श्री मोहम्मद सुल्तान–वरिष्ठ सहायक ब्यूरो चौकी पर

उपस्थित हुए। इसी दौरान परिवादी जयकिशन ब्यूरो चौकी पर उपस्थित हुआ। तत्पश्चात उपस्थित कर्मचारीगण श्री सुनील तंवर–सहायक प्राशासनिक अधिकारी व श्री मोहम्मद सुल्तान –वरिष्ठ सहायक को ब्यूरो कार्यालय में बुलाए जाने का प्रायोजन बताया गया तथा ब्यूरो द्वारा की जा रही गोपनीय ट्रैप कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की सहमति चाहने पर दोनों कार्मिकों ने अपनी सहमति दी। तत्पश्चात् दोनों गवाहों को कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह शामिल करते हुए कार्यालय में उपस्थित परिवादी श्री जयकिशन का दोनों स्वतंत्र गवाहों से आपसी परिचय करवाया गया। स्वतंत्र गवाहों को परिवादी द्वारा ब्यूरो कार्यालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्यों से अवगत करवाया गया। इसके पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देश पर परिवादी श्री जयकिशन ने कार्यवाही हेतु रुबरु उपर्युक्त गवाहान के 500–500 रुपये के 14 नोट कुल 7000 रुपये भारतीय मुद्रा के निम्न वर्णन के प्रस्तुत किये–

क. सं.	नोट का विवरण	नम्बर नोट
1.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	7VN 396455
2.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	3DN 480967
3.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	0FF 829533
4.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	6MM 098516
5.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	5DP 867562
6.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	6WH 871461
7.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	3VV 124985
8.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	7AV 305914
9.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	7CW 658944
10.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	4QR 808636
11.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	6DQ 494214
12.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	9HS 746754
13.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	8AM 547724
14.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	1CH 259192

उपर्युक्त सभी नोटों पर फिनोल्फथलीन पॉउडर लगवाया जाकर फर्द पेशकशी, सुपुर्दगी नोट एवं दृष्टांत कार्यवाही तैयार की गई। परिवादी के कार्य से संबंधित मूल दस्तावेज अग्रिम कार्यवाही हेतु परिवादी के पास रहने दिए गए। तत्पश्चात मन पुलिस निरीक्षक मय दोनो गवाहान, परिवादी एवं ब्यूरो स्टाफ ट्रेप सामग्री हमराह लेकर जरिये सरकारी वाहन एवं प्राईवेट वाहन से वास्ते ट्रेप कार्यवाही नोखा के लिए रवाना होकर 11:55 ए.एम. पर तहसील परिसर नोखा के नजदीक पंहुचकर मुझ पुलिस निरीक्षक द्वारा डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय स्थापित मेमोरी कार्ड भगवानदास कानि. को सुपुर्द किया गया। भगवानदास कानि. को निर्देश दिए गए कि परिवादी जयकिशन के साथ रहकर गोपनीयता रखते हुए डिवाईस चालू करके परिवादी को आरोपी से रिश्वत लेनदेन कार्यवाही के लिए रवाना करें। परिवादी एवं श्री भगवान दास कानि को रवाना कर मन पुलिस निरीक्षक मय शेष ट्रेप पार्टी सदस्य भी परिवादी के ईशारे के इंतजार में गोपनीयता बरतते हुए मुकीम हुए। वक्त 02:15 पीएम पर मुझ पुलिस निरीक्षक का भगवानदास कानि. व परिवादी श्री जयकिशन से रेलवे स्टेशन के पास गोपनीय स्थान पर संपर्क हुआ। श्री भगवानदास कानि. ने बताया कि "मैंने परिवादी श्री जयकिशन को समय 12:13 पीएम पर डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर ऑन करके आरोपी से रिश्वत लेनदेन कार्यवाही के लिए अंडरग्राडंड कांप्लैक्स की तरफ रवाना कर दिया था। उसके पश्चात् आपके निर्देशानुसार कुछ समय पूर्व परिवादी को रेलवे स्टेशन के पास गोपनीय स्थान पर बुलाकर डिवाईस को प्राप्त कर रिकॉर्डिंग ऑफ कर दी है, परिवादी ने बताया है कि आरोपी पटवारी प्रारंभ में कांप्लैक्स में कुछ क्षण मिला था परंतु मुझे 2 मिनट में वापस आने की बात कहकर कांप्लैक्स से चला गया और पुनः नहीं लौटा है।" परिवादी ने बताया कि "मैं प्रारंभ में डिवाईस लेकर अडरग्राउंड कांप्लैक्स में गया तो पटवारीजी अपने कमरे को ताला लगाने की तैयारी कर रहे थे, उनके हाथ में दो थैले थे, मुझे देखकर उन्होंने मुझे 2 मिनट में वापस आने का आश्वासन दिया और कांप्लैक्स में ही इंतजार करने का कहा, मैंने कांप्लैक्स में उनका काफी देर तक इंतजार किया था परंतु पटवारी जी नहीं आए, मैंने उनके मोबाइल नंबरों पर कॉल भी किया था परंतु उनका फोन स्विच आ रहा था, फिर मैं आपसे निरंतर संपर्क में रहते हुए तहसील कार्यालय में भी उन्हें देखने गया था परंतु पटवारीजी वहां पर भी नहीं मिले, पटवारीजी के कुछ समय के लिए कहीं बाहर गांवों में निकलने की संभावना लगने पर मैंने आपके व भगवानदास कानि. के निर्देशानुसार डिवाईस को ले जाकर भगवानदास कानि. को सुपुर्द कर बंद करवा दिया

था।" परिवादी ने बताया कि मैं कुछ समय पश्चात् आरोपी पटवारी को पुनः कॉल करके संपर्क करुं तो पटवारी से मुलाकात संभव है। अतः भगवानदास कानि. को निर्देशित किया गया कि गोपनीय स्थान पर परिवादी के साथ रहते हुए परिवादी के बताए अनुसार आरोपी पटवारी को कॉल लगवाएं तथा होने वाली वार्ता को डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करें, वार्ता के तथ्यों से मुझ पुलिस निरीक्षक को सूचित करें और यदि इस दौरान आरोपी पटवारी द्वारा परिवादी से संपर्क करने का प्रयत्न किया जाता है तो अविलंब मुझ पुलिस निरीक्षक को सूचित करें। परिवादी एवं श्री भगवानदास कानि को पुनः तहसील परिसर के लिए रवाना किया। तत्पश्चात शेष ट्रेप पार्टी सदस्य भी पूर्वानुसार ईशारे के इंतजार में मुकीम हुए परंतु परिवादी का आरोपी से सम्पर्क नही हुआ तो परिवादी को श्री भगवानदास कानि. से संपर्क करके डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर ऑफ करवाने के निर्देश दिए गए, इस हेतु श्री भगवानदास कानि. को भी अवगत करवाया गया।

तत्पश्चात् 05:50 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा भगवानदास कानि. व परिवादी से गोपनीय स्थान पर संपर्क किया गया। श्री भगवानदास कानि. ने डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मुझ पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द कर बताया कि मैंने आपके निर्देशानुसार परिवादी को समय 03:36 पीएम पर आरोपी से संपर्क करने हेतु डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर ऑन करके कांप्लैक्स तथा तहसील के लिए रवाना किया था। परिवादी ने मुझ पुलिस निरीक्षक को बताया कि मैं भगवानदास कानि. से डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर ऑन करवाकर पुनः कांप्लैक्स तथा तहसील कार्यालय की ओर गया था, परंतु पटवारी श्री छीतर सिंह मीणा जी नहीं मिले, मैंने उनके बारे में अन्य पटवारियों तथा तहसील कार्यालय के स्टाफ से भी जानकारी लेने की कोशिश की तो उन्होंने भी पटवारीजी के बारे में अनभिज्ञता प्रकट की थी, मैंने पटवारीजी को कई बार कॉल भी लगाई तो उनके नंबर स्विच ऑफ ही आ रहे थे, पटवारीजी सुबह मुझसे प्रारंभ में कांप्लैक्स के पास मिलने के समय किसी जल्दी में थे तथा उनके पास कुछ गांव के व्यक्ति भी थे, हो सकता है कि पटवारीजी उन व्यक्तियों के साथ कहीं बाहर निकल गए हों और अपने मोबाइल नंबर ऑफ कर लिए हों, अब पटवारीजी के मिलने की संभावना नहीं है तथा अब तहसील कार्यालय का समय भी निकल चुका है इसलिए मेरा काम होने की संभावना भी नहीं है, मैं पटवारी जी से कल सुबह पुनः कॉल लगाकर मेरे कार्य के लिए संपर्क करने का प्रयास करुंगा"। इस पर समस्त ट्रैप दल को रवानगी हेतु अवगत करवाया गया। डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मुझ पुलिस निरीक्षक द्वारा स्वयं के पास सुरक्षित रखा गया। वक्त 06:00 पीएम पर सभी ट्रेप पार्टी सदस्यों सहित नोखा से बीकानेर के लिए रवाना हुआ। रास्ते में परिवादी ने बताया कि मुझे घर पर आवश्यक कार्य है, मैं ब्यूरो चौकी तक नहीं जा सकता हूं इसलिए मैं रास्ते में अपने घर के पास उतरना चाहता हूं। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा गोपनीय स्थान पर दोनों गवाहों के समक्ष परिवादी श्री जयकिशन से उसकी पहनी शर्ट के जेब से रिश्वती राशि 7000 रुपये निकलवाए जाकर एक कागज में लपेटकर स्वयं के पास सुरक्षित रखे गए। परिवादी को उसके बताए अनुसार बीकानेर शहर में प्रवेश करते वक्त मुनासिब हिदायत कर रास्ते में उतारा गया। अन्य ट्रेप पार्टी सदस्यों सहित चौकी हाजा पंहुचा। रिश्वती राशि 7000 रुपये व डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय स्थापित मेमोरी कार्ड मुझ पुलिस निरीक्षक द्वारा स्वयं के पास आलमारी में सुरक्षित रखे गए। दोनों गवाहों को गोपनीयता संबंधी तथा उपर्युक्त कार्यवाही के लिए पुनः बुलाए जाने पर आवश्यक रुप से उपस्थित होने संबंधी निर्देश प्रदान किए जाकर ब्यूरो चौकी से रवाना किया गया।

दिनांक 29.11.2022 को 01:00 पीएम पर मुझ पुलिस निरीक्षक के निर्देशानुसार परिवादी श्री जयकिशन ब्यूरो चौकी पर उपस्थित हुआ। परिवादी के बताए अनुसार आरोपी पटवारी श्री छीतर सिंह मीणा के मोबाइल नंबर 7878854823 पर कॉल लगाकर वार्ता करवानी चाही तो आरोपी पटवारी का मोबाइल नंबर स्विच ऑफ होना पाया गया। परिवादी ने अवगत करवाया कि मैं अब पटवारी से कुछ दिन संपर्क नही करुंगा तो आरोपी पटवारी श्री छीतर सिंह मीणा मेरा तहसील कार्यालय का शेष बचा हुआ काम करवाने के लिए तथा मुझसे शेष 7000 रुपये की रिश्वत प्राप्त करने के लिए अवश्य ही संपर्क करेगा, यदि मैं मेरे स्तर पर तहसील कार्यालय नोखा से शेष काम करवाने की कोशिश करुंगा तो यह संभावना है कि पूर्ण रिश्वत राशि न मिलने के कारण पटवारी श्री छीतर सिह मीणा तहसील कार्यालय में हमारा फोटो फार्म वाला काम अटका देगा। परिवादी को निर्देश प्रदान किए गए यदि आरोपी पटवारी द्वारा आपसे किसी प्रकार से संपर्क करने का प्रयास किया जाता है तो आप अविलंब मुझ पुलिस निरीक्षक को इसकी जानकारी प्रदान करें। उचित निर्देश प्रदान किए जाकर परिवादी को ब्यूरो चौकी से रवाना किया गया। तत्पश्चात मन पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी से नियमित सम्पर्क रखा गया। दिनांक 06.12.2022 को परिवादी कार्यालय में उपस्थित आया और एक प्रार्थना पत्र मुझ पुलिस निरीक्षक को प्रस्तुत कर अवगत करवाया कि मैंने मेरे स्तर पर इधर उधर पता किया तो पता चला है कि दिनांक 28.11.2022 की ट्रैप कार्यवाही के दौरान पटवारी श्री छीतर सिंह मीणा को एसीबी की ट्रैप कार्यवाही की भनक लग गई थी

इसलिए पटवारी ने मुझसे रिश्वत नहीं ली थी। अब मैं पटवारी श्री छीतर सिंह मीणा के खिलाफ आगे की ट्रैप कार्यवाही की संभावना नहीं होने की बात को देखते हुए आगे की कार्यवाही नहीं करवाना चाहता हूं तथा अब तक की हुई कार्यवाही के आधार पर पटवारी श्री छीतर सिंह मीणा के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करवाना चाहता हूं। परिवादी ने बताया कि मैं पटवारी द्वारा की गई रिपोर्ट के पश्चात् आगे के तहसील कार्यालय संबंधी कार्य के लिए दिनांक 02.12.2022 को तहसील कार्यालय नोखा गया था। इस दौरान द्वारा वहां के तहसीलदार ने मुझसे पटवारी के मूल रिपोर्ट किए हुए कागज अपने पास रख लिए थे और मुझे आश्वासन दिया कि हम यह कागज कार्यालय से डिस्पैच करके एसडीओ पूगल को भिजवा देंगे। इस पर परिवादी को ब्यूरो कार्यालय में रुकने के निर्देश प्रदान किए गए। प्रकरण के साक्षिगण श्री सुनील तंवर–सहायक प्राशासनिक अधिकारी व श्री मोहम्मद सुल्तान–वरिष्ठ सहायक को जरिये कॉल ब्यूरो कार्यालय तलब किया गया। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन करवाकर कार्यवाही के तथ्यों से परिचित करवाया गया। परिवादी के प्रार्थना पत्र के अनुसार मुझ पुलिस निरीक्षक द्वारा स्वयं के पास सुरक्षित रखे हुए कार्यवाही से संबंधित 7000 रुपये रिश्वती राशि के समान नंबरी नोट उपर्युक्त गवाहों के समक्ष झाड़–पोंछकर परिवादी श्री जयकिशन को सुपुर्द किए गए। उक्त 7000 रुपये की सुपुर्दगी रसीद परिवादी के प्रार्थना पत्र के पृष्ठ भाग पर प्राप्त की गई। कार्यवाही में प्रयुक्त की जाने वाले पीतल की सील नंबर 67 की फर्द नमूना सील तैयार की जाकर शामिल कार्यवाही दस्तावेज की गई। ट्रैप कार्यवाही आयोजन दिनांक 28.11.2022 व उसके पश्चात् दिनांक 29.11.2022 हेतु प्रयुक्त डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय स्थापित मूल मेमोरी कार्ड को ब्यूरो कार्यालय के कंप्यूटर से कनैक्ट करके रिकॉर्ड ऑडियो क्लिप को उपर्युक्त गवाहों के समक्ष श्री भगवान दास कानि. की सहायता से सुना गया तथा फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार की गई। मूल मैमोरी कार्ड को सीलमोहर किया गया। कार्यवाही में प्रयुक्त पीतल की सील को अनुपयोगी किया जाकर फर्द नष्टीकरण पीतल की सील तैयार की जाकर शामिल कार्यवाही दस्तावेज की गई। तत्पश्चात परिवादी एवं गवाहान को कार्यवाही से रूखस्त किया गया। तत्पश्चात आरोपी श्री छीतरसिंह मीणा राजस्व पटवारी हलका बनिया का सेवा रिकार्ड तहसीलदार नोखा जिला बीकानेर से प्राप्त करने पर आरोपी का विवरण छीतर मीणा हाल पदस्थापन पटवार हलका साधासर तहसील नोखा जिला बीकानेर होना ज्ञात हुआ।

उपरोक्त घटना क्रम से पाया गया कि परिवादी श्री जयकिशन पुत्र श्री कोजाराम चौधरी निवासी गांव बनिया तहसील नोखा जिला बीकानेर के दादाजी श्री रामलाल उर्फ रामूराम के नाम से गावं भानीपुरा तहसील पूगल के खसरा नम्बर 466/2 (1076/466) में 75 बीघा गैर खातेदारी बरानी भूमि की खातेदारी अधिकार प्रदान करने के सम्बंध में उप खण्ड अधिकारी पूगल जिला बीकानेर द्वारा उक्त श्री रामलाल उर्फ रामूराम पुत्र श्री लाधुराम जाति जाट साकिन बनिया जिला बीकानेर का फोटो फार्म जारी किया गया था जिसकी तस्दीक करने की एवज में आरोपी पटवारी श्री छीतर मीणा पटवारी हलका बनिया तहसील नोखा जिला बीकानेर द्वारा परिवादी श्री जयकिशन से 11000/– रूपये रिश्वत की मांग की गई। रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान आरोपी द्वारा एक हजार रूपये कम करते हुए 10000 रूपये रिश्वत प्राप्त करने हेतु सहमत हुआ। सत्यापन के दौरान ही आरोपी द्वारा 3000 रूपये परिवादी से रिश्वत के प्राप्त किये गये एंव शेष राशि 7000 रूपये दिनांक 28.11.2022 को लेने हेतु सहमत हुआ। दिनांक 28.11.2022 को 7000 रूपये की राशि पर आरोपी पटवारी के विरूद्ध ट्रेप कार्यवाही का आयोजन किया गया परंतु परिवादी एवं आरोपी के मध्य रिश्वत राशि का आदान प्रदान नही हो सका। आरोपी श्री छीतर मीणा पुत्र श्री गोपाल राम मीणा ग्राम नॉगलपूरण पोस्ट खाजलपुरा तहसील चाकसू जिला जयपुर हाल राजस्व पटवारी साधासर अतिरिक्त चार्ज पटवार हलका बनिया तहसील नोखा जिला बीकानेर का उक्त कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधन 2018) के तहत प्रथम दृष्टया घटित होना पाया जाता है। अतः आरोपी छीतर मीणा पटवारी के विरूद्ध उपरोक्त धारा में बिना नम्बरी एफआईआर कता कर वास्ते पंजीयन एवं क्रमांकन हेतु श्रीमान महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राज. जयपुर की सेवामें सादर प्रेषित है।

भवदीय

(आनन्द मिश्रा)
पुलिस निरीक्षक
एसीबी यूनिट बीकानेर
जिला बीकानेर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री आनन्द मिश्रा, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बीकानेर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में अभियुक्त श्री छीतर मीणा, राजस्व पटवारी, साधासर अतिरिक्त चार्ज पटवार हल्का बनिया, तहसील नोखा, जिला बीकानेर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 498/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रतियाँ प्रथम सूचना रिपोर्ट नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

28.12.22

(योगेश दाधीच)
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर।

कमांकः- 4208-11 दिनांकः 28.12.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, बीकानेर।
2. जिला कलक्टर बीकानेर।
3. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बीकानेर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बीकानेर।

28.12.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर।